चार्ट III.21: बैंक स्टाकों और शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव

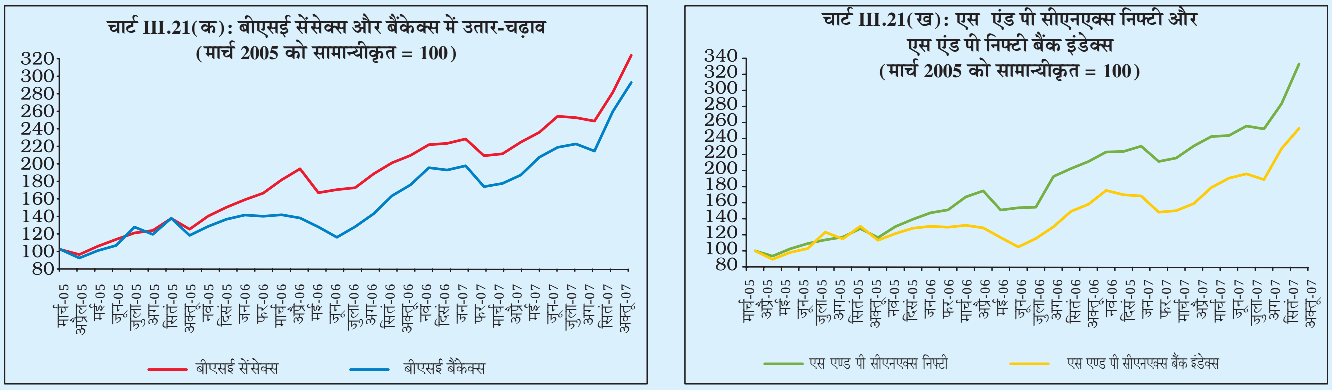

रिज़र्व बैंक (संशोधन) बिल 2006 का अधिनियमन, 3 प्रतिशत की तत्कालीन सांविधिक न्यूनतम सीआरआर बनाए रखने की आवश्यकता को समाप्त करना, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में संशोधन जिससे भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार से निधियां जुटा सके और अपने कार्यों को भी दक्षतापूर्वक कर सके तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी पुनर्पूंजीकरण बांडों को ऐसी ट्रेडेबल प्रतिभूतियों में जो सांविधिक चलनिधि अनुपात की हैसियत के भी योग्य हों, रुपांतरित करने के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करना। कुछ बैंकों के स्टॉक को अधिग्रहण अथवा विलयन की प्रत्याशा में भी खरीदने की रुचि बढ़ी। तथापि, मुख्य रूप से ब्याज दरों तथा देशी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि और कुछ बड़े बैंकों के प्रत्याशा से कम कंपनी परिणामों के कारण बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक में बीच-बीच में बिक्री के दबाव देखे गए।

3.97 बैंकिंग स्टॉक ने, जैसा कि बैंकेक्स (18 बैंकों के शेयर) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, बीएसई संसेक्स, व्यापक आधार वाले बीएसई 500 तथा अन्य बड़े क्षेत्रीय सूचकांकों को काफी पीछे छोड़ दिया। बैंकिंग स्टॉक ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अबतक (14 नवंबर 2007 तक) बीएसई संसेक्स और अधिकांश क्षेत्रीय सूचकांकों को पीछे छोड़ना जारी रखा (सारणी III.39)। अनुकूल समष्टि आर्थिक मूलतत्वों के अलावा, बैंक स्टॉक कुछ क्षेत्र-विशिष्ट गतिविधियों से प्रेरित थे जैसे ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों का संतोषजनक वित्तीय निष्पादन और संसद द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक कानून) संशोधन विधेयक, 2006 पारित किया जाना, जिससे भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जा सके।

3.98 यद्यपि 2006-07 के दौरान बैंकिंग स्टॉक ने न केवल बाजार को पीछे छोड़ दिया , बल्कि कम अस्थिरता भी दिखाई। तथापि , 2007-08 के दौरान अब तक (14 नवंबर 2007 तक) बैंक स्टॉक की अस्थिरता बाजार अस्थिरता की तुलना में कुछ अधिक थी (सारणी III.40)।

सारणी III.39: अन्य क्षेत्र के स्टॉकों की तुलना में बैंकिंग स्टॉक पर प्रतिलाभ*

(प्रतिशत)

वर्ष	मुंबई स्टाक एक्सचेंज संसेक्स	मुंबई स्टाक एक्सचेंज 500	क्षेत्र संबंधी सूचकांक					
			बैंकेक्स	एफएमसीजी	सूचना प्रोद्योगिकी	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	पूंजीगत वस्तुएं	उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-03	-12.1	-8.0	16.2	-23.5	-20.4	10.1	26.4	15.1
2002-03	-12.1	-8	16.2	-23.5	-20.4	10.1	26.4	15.1
2003-04	83.4	109.4	118.6	31.3	29.2	1.811	147.3	68.4
2004-05	16.1	21.9	28.6	11.6	59.5	8.1	39.9	50.5
2005-06	73.7	65.2	36.8	109.9	49.2	44.0	156.0	115.4
2006-07	15.9	9.7	24.3	-21.4	21.6	-3.2	11.1	11.1
2007-08 (14 नवंबर 2007 तक)	52.5	59.4	71.6	20.8	-12.6	77.7	129.9	44.1

* : अंक-दर-अंकआधार पर मापित अनुसूची में प्रतिशत अंतर
स्रोत : बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसी)

सारणी III.40: बैंक स्टॉक का कार्यनिष्पादन - जोखिम और प्रतिलाभ

सूचकांक	प्रतिलाभ*			अस्थिरता@		
	2005-06	2006-07	2007-08 #	2005-06	2006-07	2007-08 #
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई बैंकेक्स	36.8	24.3	72.7	11.8	17.5	13.8
बीएसई सेसेंक्स	73.7	15.9	52.5	16.7	11.1	12.0

* : बिंदु-दर-बिंदु आधार पर सूचकांकों में प्रतिशत अंतर।
@ : अंतर के सहगुणांक के रूप में परिभाषित।
\# : 14 नवंबर 2007 तक
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

3.99 अलग-अलग बैंक के स्तर पर, 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्टॉक में मिश्रित रुझान दिखा।सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच, 2006-07 के दौरान बड़े लाभकर्ता थे- स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (53.5 प्रतिशत), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (32.5 प्रतिशत), बैंक ऑफ इंडिया (28.7 प्रतिशत) , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (25.7 प्रतिशत) , भारतीय स्टेट बैंक (22.9 प्रतिशत) और इंडियन ओवरसीज बैंक (12.2 प्रतिशत)। 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हानि उठाने वाले प्रमुख बैंक थे- आइडीबीआइ लि. (-23.5 प्रतिशत), यूको बैंक (-23.3 प्रतिशत), विजया बैंक (-22.00 प्रतिशत), ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स (-18.5 प्रतिशत), आंध्रा बैंक (-15.7 प्रतिशत) और कारपोरेशन बैंक (-14.5 प्रतिशत) (सारणी III.41)।

3.100 निजी क्षेत्र के बैंकों में 2006-07 के दौरान बड़े लाभकर्ता थे- कोटक महिंद्रा बैंक लि.(79.9 प्रतिशत), यस बैंक (51.4 प्रतिशत), एक्सिस बैंक[5] (44.6 प्रतिशत), सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.(43.6 प्रतिशत) आइसीआइसीआइ बैंक लि. (40.5 प्रतिशत) और एचडीएफसी बैंक लि. (38.4 प्रतिशत)। लेकिन, वर्ष के दौरान बैंक आफ राजस्थान लि., इंडसंड बैंक लि. और यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक के शेयरों की कीमतें गिरीं।

3.101 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों का मूल्य/अर्जन अनुपात का दायरा व्यापक था। मार्च 2007 के अंत में, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मूल्य/अर्जन अनुपात 4.3 (इलाहाबाद बैंक) और 11.5 (भारतीय स्टेट बैंक) के दायरे में था, निजी क्षेत्र के बैंकों का मूल्य/अर्जन अनुपात 3.8 (बैंक ऑफ राजस्थान लि.) और 110.7 (कोटक महिंद्रा बैंक लि.) के दायरे में था (सारणी III.41)।

3.102 बैंक स्टॉक भारतीय ईक्विटी बाजार के बाजार पूंजीकरण का एक काफी बड़ा हिस्सा बना हुआ है, यद्यपि मार्च 2006 के अंत की तुलना में मार्च 2007 के अंत में उनके हिस्से में कुछ गिरावट आई। तथापि, 2007-08 (अक्तूबर 2007 तक) के दौरान कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक के बाजार पूंजीकरण के हिस्से में कुछ सुधार हुआ। 2006-07 के दौरान कुल टर्नओवर में बैंक स्टॉक के टर्नओवर का हिस्सा कम बना रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक (अक्तूबर 2007 तक), कुल टर्नओवर में बैंक स्टॉक के टर्नओवर के हिस्से में काफी वृद्धि हुई (सारणी III.42)।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में शेयरधारिता का स्वरूप

3.103 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व के विविधीकरण की प्रक्रिया जारी रही। 10 प्रतिशत तक निजी शेयरधारिता वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या मार्च 2006 के अंत के चार से घटकर मार्च 2007 के अंत में तीन रह गई, जबकि 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक की संख्या शून्य से बढ़कर एक हो गयी (सारणी III.43 और परिशिष्ट सारणी III.32)।

3.104 भारतीय पूंजी बाजार में अपने बढ़े हुए एक्सपोजर के साथ विदेशी वित्तीय संस्थाओं (एफआइआइ) ने भारतीय बैंकों में भी अपनी पूंजी को समेकित किया है। मार्च 2007 के अंत में विदेशी वित्तीय संस्थाओं के निजी क्षेत्र के छः नए बैंकों (पिछले वर्ष के एक की तुलना में) तथा निजी क्षेत्र के दो पुराने बैंकों (पिछले वर्ष शून्य) में अधिकांश शेयर-धारिता थी। वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के अन्य बैंकों में भी विदेशी वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता में वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी विदेशी वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता में वृद्धि हुई। विदेशी वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता सार्वजनिक क्षेत्र के 13 बैंकों (पिछले वर्ष के 10 की तुलना में) में 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों (पिछले वर्ष के दो की तुलना में) में 10 प्रतिशत तक थी (सारणी III.44)।

[5] पहले यूटीआई बैंक।

सारणी III.41: बीएसई में बैंकों के शेयरों का मूल्य और बैंक स्टॉक मूल्य/अर्जन अनुपात

बैंक	औसत दैनिक बंदी मूल्य (रु.)		मूल्यों में प्रतिशत घटबढ़	पी/ई अनुपात (मार्च के अंत में)	
	2005-06	2006-07		2006	2007
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक					
इलाहाबाद बैंक	85.44	80.11	-6.24	5.0	4.3
आंध्र बैंक	96.29	81.19	-15.68	8.1	6.9
बैंक ऑफ बड़ौदा	226.15	237.63	5.08	10.1	7.6
बैंक ऑफ इंडिया	117.00	150.61	28.73	9.2	7.3
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	33.35	32.19	-3.48	26.0	6.2
केनरा बैंक	225.17	242.09	7.51	8.2	5.6
कार्पोरेशन बैंक	370.63	316.81	-14.52	12.3	7.7
देना बैंक	32.87	32.24	-1.92	20.3	5.0
इंडियन ओवरसीज बैंक	89.85	100.81	12.20	6.7	5.6
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	260.46	212.28	-18.50	7.4	5.7
पंजाब नैशनल बैंक	420.43	455.11	8.25	10.3	9.7
सिंडिकेट बैंक	75.66	73.42	-2.96	8.7	4.7
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	118.47	113.76	-3.98	9.1	6.2
विजया बैंक	60.48	47.18	-21.99	18.0	6.3
भारतीय स्टेट बैंक	811.67	997.31	22.87	11.6	11.5
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर	2,757.41	3,465.41	25.68	14.4	5.5
एंड जयपुर	3,513.28	5,391.86	53.47	10.5	7.4
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2,697.68	3,575.63	32.54	8.0	4.6
यूको बैंक	27.96	21.45	-23.28	10.8	5.4
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक					
आइ डी बी आइ लि.	98.28	75.18	-23.50	10.1	8.9
निजी क्षेत्र के बैंक					
ॲक्सीस बैंक	273.09	394.79	44.56	20.5	21.0
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	52.07	37.94	-27.14	39.8	3.8
सिटी यूनियन बैंक लि.	97.83	128.98	31.84	4.8	5.7
सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	19.08	27.39	43.55	152.0	48.5
धनलक्ष्मी बैंक	31.81	38.14	19.90	10.5	11.6
फेडरल बैंक लि.	175.56	205.36	16.97	7.7	6.3
आईएनजी वैश्य बैंक	158.37	144.76	-8.59	143.6	17.9
इंडसइ बैंक लि.	61.38	45.13	-26.47	36.9	19.7
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	442.28	494.24	11.75	12.4	11.4
कर्नाटक बैंक लि.	102.68	121.61	18.44	6.9	11.7
करूर वैश्य बैंक लि.	174.89	228.93	30.90	6.5	8.7
कोटक महिंद्रा बैंक लिमि.	192.96	347.18	79.92	72.7	110.7
साउथ इंडियन बैंक लि.	65.72	73.99	12.58	8.5	6.7
युनाइटेड वेस्टर्न बैंक #	37.46	28.89	-22.88	-2.4	–
बैंक ऑफ पंजाब लि. *	34.42	–	–	–	–
एचडीएफसी बैंक लि.	658.46	911.35	38.41	27.8	26.6
आइसीआइसीआइ बैंक लि.	506.31	711.37	40.50	21.8	28.8
यस बैंक	72.10	109.13	51.36	49.0	41.8

: 30 सितंबर 2006 वर्ष युनाईटेड वेस्टर्न बैंक को आईडीबीआई बैंक के साथ विलय किया गया।

* : बैंक ऑफ पंजाब लि. का सेंचुरियन बैंक लि. के साथ विलय कर दिया गया।

– : उपलब्ध नही।

टिप्पणी : औसत की गणना दैनिक बंदी मूल्य पर की जाती है।

सारणी III.42: बैंक स्टाक का संबंधित अंश - कुल टर्नओवर तथा बाजार पूंजीकरण

(प्रतिशत)

वर्ष	कुल टर्नओवर में बैंक स्टाक के टर्नओवर का अंश	कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टाक के पूंजीकरण का अंश*
1	2	3
2005-06	6.8	7.1
2006-07	5.3	6.8
2007-08 (अप्रैल-अक्तूबर)	6.6	7.9

* : अवधि के अंत में

टिप्पणी : बैंकों के टर्नओवर और बाजार पूंजीकरण के आंकड़े एनएसइ के बैंक निफ्टी सूचकांक से संबंधित हैं।

स्रोत : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड।

7. बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

3.105 प्रौद्योगिकीय विकास से भारत में बैंकिंग परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण प्रक्रियाओं तथा प्रविधियों में उल्लेखनीय सुधार होने के फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ी है, वैकल्पिक सेवा प्रदायी माध्यमों के जरिए तीव्र उत्पाद विकास हुआ है और लेनदेन की लागत में कमी आई है। विशेष रूप से बैंकिंग की पहुँच मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाते रहने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है (बॉक्स III.3)।

3.106 कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया, जो सभी प्रौद्योगिकीय पहलों का आरंभ थी, यह अधिकांश बैंकों में पूरी होने के निकट पहुँच रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कंप्यूटरीकरण तथा संचार नेटवर्क के विकास पर बड़े पैमाने पर धन खर्च करना जारी रखा। सितंबर 1999 से मार्च 2007 के दौरान खर्च की गई कुल राशि 12,826 करोड़ रुपये थी (परिशिष्ट सारणी III.33)।

सारणी III.43: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयर धारिता*

(मार्च के अंत में)

श्रेणी	2006	2007
1	2	3
10 प्रतिशत तक	4	3
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	–	1
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	3	3
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	3	3
40 से ऊपर तथा 49 प्रतिशत तक	11	11

– : शून्य/ नगण्य

* : 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आइडीबीआइ लि. को मिलाकर।

3.107 'कोर बैंकिंग समाधान' (सीबीएस) प्रदान करने वाली शाखाओं का अनुपात मार्च 2006 के अंत के 28.9 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 44.4 प्रतिशत हो गया। भारतीय स्टेट बैंक के सात सहायक बैंकों ने कोर बैंकिंग समाधान को पूरी तरह लागू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के आठ और बैंकों जैसे आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कारपोरेशन बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, विजया बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक ने संपूर्ण कंप्यूटरीकरण हासिल कर

सारणी III.44: भारतीय बैंकों में विदेशी संस्थाओं (अनिवासी) की शेयर धारिता

(मार्च के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

श्रेणी	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
कुछ नहीं	14	8	3	–	11	4
10 प्रतिशत तक	2	5	–	–	4	9
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	10	13	2	–	1	–
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	2	2	1	1	1	1
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	–	–	–	–	–	1
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	–	–	1	1	1	–
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	–	–	–	3	–	1
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	–	–	–	2	–	–
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	–	–	1	1	–	1
कुल	**28**	**28**	**8**	**8**	**18**	**17**

– : शून्य/नगण्य।

बॉक्स III.3: ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान

वित्तीय समावेशन में वृद्धि करने के लिए रिज़र्व बैंक बैंकों को प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। भारी संख्या में छोटे ऋण खातों में सेवा प्रदान करने के कारण बैंकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करना प्रायः मंहगा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित विधियों को ग्रामीण ऋण प्रदान करने के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जिससे बैंकों की पहुँच में विस्तार होगा और ऋण प्रदान करने की लागत कम हो सकती है।

बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) नियुक्त करने की अनुमति मिलने के बाद पहुँच की संभावनाएं खुल गई हैं जो पहले उपलब्ध नही थीं। व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा समुचित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ग्रामीण रोजगार पैदा करने के अलावा, परिचालनात्मक लागत को कम करने और सशक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआइएस) स्थापित करने की संभावना है। व्यवसाय प्रतिनिधियों के कारगर उपयोग के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रत्येक गांव में एक बैंकिंग सेवा केंद्र सृजित करने की संभावना है जिससे ग्रामीण ऋण सुपुर्दगी में वृद्धि की जा सकती है।

पिछले दो वर्षों में बैंकों द्वारा गांवों में अपना प्रौद्योगिकी संचालित दायरा बढ़ाने के लिए अनेक मॉडल उभरकर सामने आए हैं। उनमें से तकरीबन सभी कुछ निम्नलिखित आवश्यक बातों पर एकमत हैं; (i) बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड धारक ग्राहक, जो एक संपर्क कार्ड या संपर्कहीन कार्ड हो सकता है, (ii) व्यवसाय प्रतिनिधि जिसके पास सिंप्यूटर / हाथ में रखने वाला टर्मिनल/मोबाइल फोन से उपलब्ध बैंकिंग सेवाएं हों, (iii) एक सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट हो, (iv) बैंक तथा (v) उपर्युक्त में से प्रत्येक प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत कार्ड प्रबंधन।

प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग मॉडल, व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं कम लागत तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सामान्य समाधानों का प्रयोग करते हुए प्रदान करने पर, आधारित है। इस मॉडल के आवश्यक घटक हैं: एक ऐसी केंद्रीय प्रणाली, जिसमें इकनॉमी ऑफ स्केल तथा उसके परिणामी लागत संबंधी लाभों को प्रदान करने के लिए साझी आधारभूत संरचना है तथा एक ऐसी फील्ड प्रणाली, जो व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा केंद्रीय कंप्यूटर तक पहुँच को सुगम बनाती है। हाथ में रखने वाले ऐसे कंप्यूटर उपकरणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है जो फिक्स्ड लाइन कनेक्टिविटी तथा मोबाइल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए दूरस्थ सर्वरों से जुड़े होते हैं। अद्वितीय तरीके से ग्राहकों की पहचान करने के लिए तथा उन्हें वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए फिंगर प्रिंट विधि को व्यापक स्वीकृति मिल रही है। यह पाया गया है कि केवाईसी प्रयोजन से बायोमेट्रिक पहचान सर्वाधिक लोकप्रिय विधि के रूप में उभरकर सामने आ रही है। ग्राहकों द्वारा नकदी जमा तथा आहरण जैसे खातों में लेनदेन बैंक शाखा में गए बिना किया जा सकता है। ग्राहकों को लेनदेन के ब्यौरों की हार्डकॉपी जारी कर दी जाती है जो एक छोटे प्रिंटर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

बैंकिंग के विस्तार के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित मॉडल को मूलरूप से निम्नलिखित प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है :

- संभावित ग्राहक संबंधी सूचना व्यवसाय सहायकों द्वारा संगृहीत की जाती है तथा एक निर्धारित प्रारूप में बैंक को भेज दी जाती है अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि बैंक के लिए ग्राहक खाता को सूचीबद्ध करता है।
- बैंक केवाईसी संवीक्षा करते हैं तथा संबंधित सूचनाएं मिलने के बाद ग्राहक के लिए बचत बैंक खाता खोलने की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक ग्राहक के लिए प्राप्त सूचनाओं में उसका फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट तथा हस्ताक्षर (वैकल्पिक) शामिल है। यह सूचना स्मार्ट कार्ड पर उत्कीर्ण होती है।
- यह कार्ड ग्राहक को सौंपते समय व्यवसाय प्रतिनिधि कार्ड को फिंगरप्रिन्ट पहचान के द्वारा ग्राहक के लिए सक्रिय कर देता है। स्मार्ट कार्ड को सक्रिय करते समय बैंक खाते में उपलब्ध शेष स्मार्ट कार्ड पर दर्ज हो जाता है।
- कोई भी ग्राहक व्यवसाय प्रतिनिधि के टर्मिनल पर अपने स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसा निकाल और जमा कर सकता है। जब भी कोई लेनदेन किया जाता है तो एक प्रिंट-आउट ग्राहक को दे दिया जाता है। कार्डधारक का बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद ही लेनदेन किया जा सकता है।
- इस प्रकार का बैंकिंग लेनदेन शाखा के कारोबारी समय से मुक्त होता है और यदि व्यवसाय प्रतिनिधि कैप्चर डिवाइस के साथ उपलब्ध हो तो यह कभी भी किया जा सकता है।
- यदि ग्राहक को अदा करने के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि के पास अपेक्षित धन न हो तो उसे एक प्रिंटआउट दिया जाएगा जिसमें यह बताया गया होगा कि ग्राहक के पक्ष में कोई नकद उपलब्ध नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसर के माध्यम से यह सूचना बैंक को भेज दी जाएगी ताकि नकदी की तत्काल पूर्ति की जा सके। प्रसंगवश, यह व्यवसाय प्रतिनिधियों द्वारा ग्राहकों को सेवा प्रदान किये जाने से मना करने पर प्रतिबंधित करने के लिए एक नियंत्रण का भी काम करता है।
- व्यवसाय प्रतिनिधि के पास का टर्मिनल एक रिचार्जेबल बैटरी से संचालित होता है और वह बिजली की स्थायी आपूर्ति पर निर्भर नहीं होता।
- इससे जुड़ी एक और सुविधा यह हो सकती है कि ग्राहक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इस स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल एक डेबिट कार्ड के रूप में भी कर सकता है।
- सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट ग्राम-स्तरीय टर्मिनलों तथा पहचान किए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बैंक के जोड़ता है।
- यह प्रौद्योगिकी संबंधित बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान को अक्षत रूप से जोड़ता है और तमाम प्रकार के जमा और ऋण खातों में सहायक होता है।

व्यवसाय प्रतिनिधि द्वारा हाथ में रखने वाले प्रत्येक मॉडल का प्रयोग 500 से 1000 खातों में सेवा प्रदान करने में किया जा सकता है ,यदि इस डिवाइस को उसकी कार्यकारी क्षमताओं एवं रेंज के संदर्भ में देखा जाए तो ,यह बहुत किफायती है। निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा ऐसे मॉडलों को पहले ही अपनाया जा चुका है। वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति में बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहल को तेजी से बढ़ाएं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि वे समाधान अत्यंत सुरक्षित हों, लेखापरीक्षा के अनुकूल हों तथा व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानकों का अनुपालन करते हों ताकि विभिन्न प्रणालियों के बीच आसन्न अंतर-परिचालनात्मकता सुनिश्चित की जा सके।

लिया है, जबकि कोर बैंकिंग लागू करने की प्रक्रिया प्रगति पर है (सारणी III.45 तथा परिशिष्ट सारणी III.34)।

3.108 सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों में से 15 बैंकों ने अपनी शाखाओं को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत कर दिया है, जबकि 6 बैंकों ने अपनी 70 से 90 प्रतिशत शाखाओं को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। केवल चार बैंकों अर्थात पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया को अपनी आधी से अधिक शाखाओं को अभी पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करना है (सारणी III.46)।

3.109 बैंकों द्वारा स्थापित कुल एटीएम मार्च 2006 के अंत के 20,267 की तुलना में मार्च 2007 के अंत में 27,088 थे। विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा स्थापित एटीएम की संख्या

सारणी III.45: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कंप्यूटरीकरण
(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

श्रेणी	2006	2007
1	2	3
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं (i+ii)	77.5	85.6
i) कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाएं	28.9	44.4
ii) पहले से ही पूर्णतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं #	48.5	41.2
अंशतः कंप्यूटरीकृत शाखाएं	18.2	13.4

: कोर बैंकिंग समाधान युक्त शाखाओं से भिन्न।

उनकी शाखाओं की संख्या से तीन गुनी थी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (32.9 प्रतिशत) तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों (34.9 प्रतिशत) के मामले में शाखाओं के मुकाबले एटीएम का अनुपात बहुत कम था (सारणी III.47)। सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों (कार्पोरेशन बैंक तथा आइडीबीआइ लि.) के मामले में,उनके एटीएम की संख्या उनकी शाखाओं से अधिक थी। अलग-अलग बैंक के स्तर पर, निजी क्षेत्र के यस बैंक लि. को छोड़कर बाकी सभी नए बैंकों के संबंध में एटीएम की संख्या शाखाओं से अधिक रही। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में, एस बी आइ कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि. को छोड़कर सभी बैंकों के मामले में शाखाओं की तुलना में एटीएम का अनुपात 100 प्रतिशत से कम था। अधिकांश विदेशी बैंक शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों में अपनी सीमित शाखाओं के माध्यम से काम करते रहे। सामान्य तौर पर उनके द्वारा संचालित एटीएम की संख्या की शाखाओं की संख्या से काफी अधिक थी और सिटीबैंक के एटीएम की संख्या उनकी शाखाओं की संख्या से 10 गुना से अधिक थी (परिशिष्ट सारणी III.35)।

3.110 मार्च 2007 के अंत तक देश में स्थापित सभी एटीएम में से निजी क्षेत्र के नए बैंकों के ऑफ-साइट एटीएम की संख्या सबसे अधिक थी जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऑन-साइट एटीएम की संख्या सबसे अधिक थी (चार्ट III.22)।

सारणी III.46: शाखाओं का कंप्यूटरीकरण - सरकारी क्षेत्र के बैंक
(मार्च के अंत में)

(बैंकों की संख्या)

कंप्यूटरीकरण की मात्रा	2006	2007
1	2	3
कुछ नहीं	–	–
10 प्रतिशत तक	1	–
10 से ऊपर तथा 20 प्रतिशत तक	–	1
20 से ऊपर तथा 30 प्रतिशत तक	2	1
30 से ऊपर तथा 40 प्रतिशत तक	2	1
40 से ऊपर तथा 50 प्रतिशत तक	–	1
50 से ऊपर तथा 60 प्रतिशत तक	3	–
60 से ऊपर तथा 70 प्रतिशत तक	2	1
70 से ऊपर तथा 80 प्रतिशत तक	2	1
80 से ऊपर तथा 90 प्रतिशत तक	–	4
90 से ऊपर तथा 100 प्रतिशत से कम	5	2
पूर्णतः कंप्यूटरीकृत	10	15
जोड़*	**27**	**27**

* : आइडीबीआइ को छोड़ कर।

3.111 हाल के वर्षों में फुटकर एवं कार्ड आधारित दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के प्रयोग में इजाफा हुआ है जिससे प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए उपयोग का पता चलता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए लेनदेनों की संख्या पिछले वर्ष के 24.5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान 32.9 प्रतिशत हो गई थी। मूल्य के अनुसार पिछले वर्ष के 34.6 प्रतिशत की तुलना में इस माध्यम से किए गए लेनदेनों में वृद्धि 61.0 प्रतिशत की ऊँचाई तक पहुँच गई (सारणी III.48)।

सारणी III.47: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाएं और एटीएम
(मार्च 2007 के अंत में)

बैंक समूह	बैंक शाखाओं की संख्या					एटीएम की संख्या प्रतिशत			कुल एटीएम शाखाओंके प्रतिशत के रूप में परोक्ष एटीएम	शाखाओं के प्रतिशत रूप में एटीएम
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महा-नगरीय	कुल	प्रत्यक्ष	परोक्ष	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i) राष्ट्रीयकृत बैंक	12,986	7,573	7,612	7,465	35,636	6,634	3,254	9,888	27.4	27.7
ii) स्टेट बैंक समूह	5,126	4,155	2,556	2,193	14,030	3,655	2,786	6,441	43.3	45.9
iii) निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	855	1,510	1,294	947	4,606	1,104	503	1,607	31.3	34.9
iv) निजी क्षेत्र के नए बैंक	130	554	824	989	2,497	3,154	5,038	8,192	61.5	328.1
v) विदेशी बैंक	–	2	44	227	273	249	711	960	74.1	351.6
जोड (i से v)	**19,097**	**13,794**	**12,330**	**11,821**	**57,042**	**12,796**	**12,292**	**27,088**	**42.3**	**47.5**

सारणी III.48: फुटकर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से लेन-देन

प्रकार	लेनदेनों की संख्या (000 में)			लेनदेनों में वृद्धि (प्रतिशत)		लेनदेनों का मूल्य (रुपए करोड़ में)			मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत)	
	2004-05	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ईसीएस जमा	40,051	44,216	69,019	10.4	56.1	20,180	32,324	83,273	60.2	157.6
2. ईसीएस नामे	15,300	35,958	75,202	135.0	109.1	2,921	12,986	25,441	344.6	95.9
3. ईएफटी/ एनइएफटी	2,549	3,067	4,776	20.3	55.7	54,601	61,288	77,446	12.2	26.4
4. क्रेडिट कार्ड	1,29,472	15,6086	16,9536	20.6	8.6	25,686	33,886	41,361	31.9	22.1
5. डेबिट कार्ड	41,532	45686	60,177	10.0	31.7	5,361	5,897	8,172	10.0	38.6
कुल	**2,28,904**	**2,85,013**	**3,78,710**	**24.5**	**32.9**	**1,08,749**	**1,46,381**	**2,35,693**	**34.6**	**61.0**

चार्ट III.22: एटीएम-बैंक समूहवार अंश
(मार्च 2007 के अंत में)

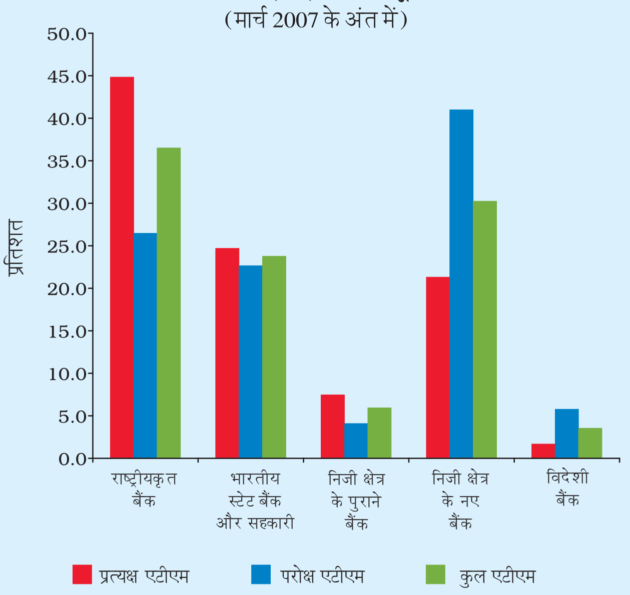

3.112 वर्ष 2006-07 के दौरान विशेष रूप से ईसीएस (क्रेडिट) तथा ईसीएस (डेबिट) में तीव्र वृद्धि हुई (चार्ट III.23)

3.113 बड़े मूल्य की भुगतान प्रणालियों में आरटीजीएस, सरकारी प्रतिभूति समाशोधन तथा विदेशी मुद्रा समाशोधन शामिल हैं। आरटीजीएस प्रणाली तीन वर्षों से अधिक समय से प्रचलन में है और मार्च 2004 में इसे प्रचलन में लाए जाने के बाद यह निर्बाध रूप से काम कर रही है। वर्तमान में 100 प्रतिभागी (92 बैंक, सात प्राथमिक व्यापारी तथा रिजर्व बैंक) आरटीजीएस प्रणाली के सदस्य हैं। आरटीजीएस की पहुंच तथा उसका प्रयोग बढ़ रहा है जिसका श्रेय इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक / शाखा नेटवर्क कवरेज को जाता है (चार्ट III.24) ।वर्तमान में 32,768 शाखाएं आरटीजीएस सुविधा प्रदान कर रही हैं।

8. बैंकिंग का क्षेत्रीय प्रसार

3.114 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की शाखाओं की कुल संख्या जून 2006 के अंत के 69,801 की तुलना में बढ़कर जून 2007 के अंत में 71,781 हो गई। इनमें 30,633 ग्रामीण शाखाएं, 16310 अर्ध-शहरी शाखाएं तथा 24,838 शहरी एवं महानगरीय शाखाएं शामिल हैं। ग्रामीण शाखाओं की संख्या पिछले वर्ष के 43.7 प्रतिशत से और गिरकर वर्ष 2006-07 के

चार्ट III.23: इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन

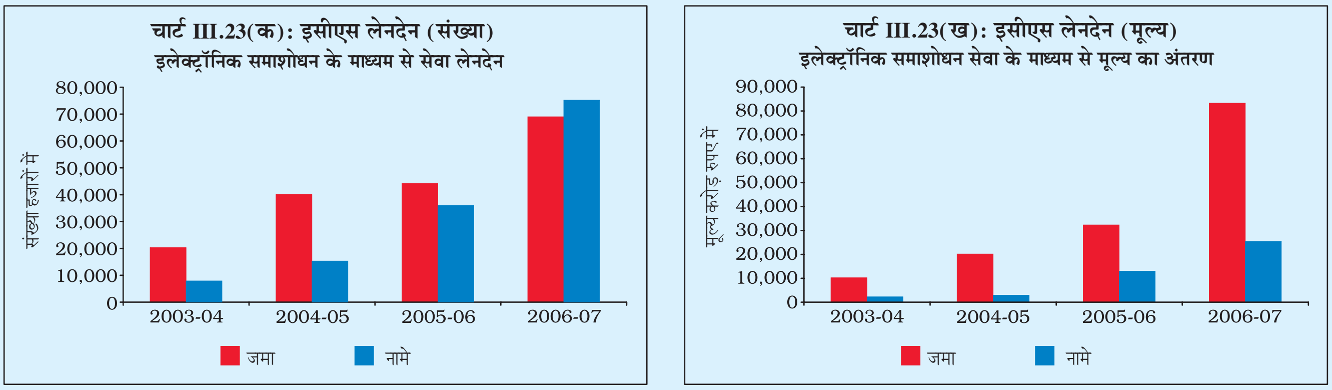

चार्ट III.24: आरटीजीएस में प्रगति

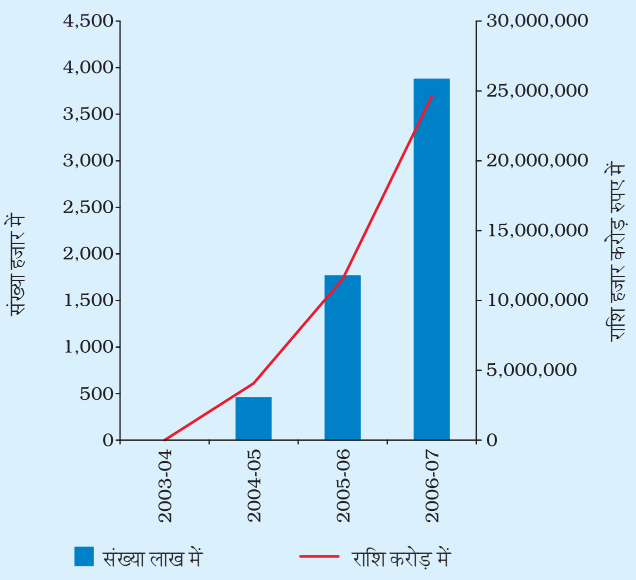

चार्ट III.25:अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शाखाओं का बैंक समूहवार वितरण

(जून 2007 के अंत में)

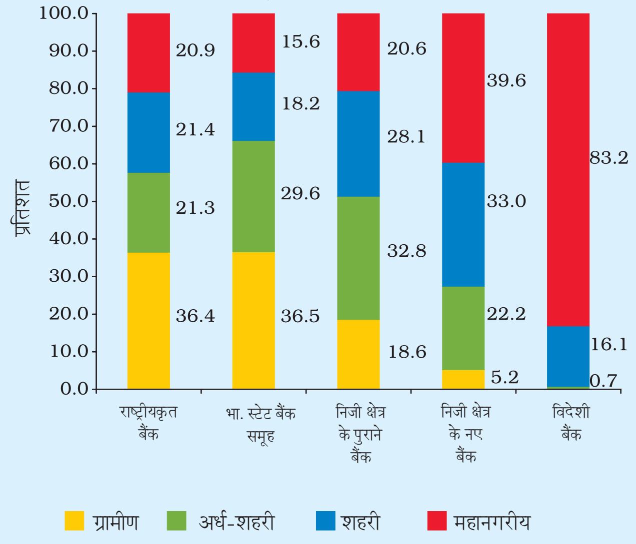

दौरान 42.7 प्रतिशत रह गई जबकि अन्य सभी जनसंख्या समूहों का अंश बढ़ा है। सभी बैंक समूहों की कुल संख्या की तकरीबन आधी शाखाओं का परिचालन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (20.2 प्रतिशत) तथा भारतीय स्टेट बैंक समूह (19.6 प्रतिशत) द्वारा किया जाता है। निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा संचालित शाखाओं की हिस्सेदारी जून 2006 के अंत के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर जून 2007 के अंत में 3.8 प्रतिशत हो गई। सभी जनसंख्या समूहों के बीच निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की शाखाओं की संख्या में गिरावट हुई है। विदेशी बैंकों की शाखाएं ज्यादातर शहरी तथा महानगरीय क्षेत्रों में केंद्रित हैं तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति नगण्य है (चार्ट III.25 तथा परिशिष्ट सारणी III.36)।

3.115 जमाराशि की मात्रा के अनुसार क्रमबद्ध किए गए शीर्षस्थ सौ केंद्रों की जमाराशि कुल जमाराशि का 68.9 प्रतिशत थी जबकि बैंक ऋण के अनुसार क्रमबद्ध किए गए शीर्षस्थ सौ केंद्रों का बैंक ऋण मार्च 2007 के अंत तक कुल बैंक ऋण का 77.4 प्रतिशत था। हाल ही के वर्षों में कुल जमाराशि तथा कुल बैंक ऋण में शीर्षस्थ सौ केंद्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है (सारणी III.49)।

3.116 दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदा बैंक शाखाओं का सर्वाधिक प्रतिशत बना रहा जिसके बाद मध्य, पूर्वी, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों का स्थान था (चार्ट III.26)। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की हिस्सेदारी जून 2007 के अंत तक 2.7 प्रतिशत के निम्न स्तर पर बनी रही।जुलाई 2006 से जून 2007 के दौरान अधिकांश नई शाखाएं दक्षिणी (666 या 28.2 प्रतिशत) तथा उत्तरी (446 या 18.9 प्रतिशत) क्षेत्रों में खोली गई थीं। विभिन्न क्षेत्रों में एकल शाखा वाले बैंक द्वारा सेवा प्राप्त करने वाली औसत आबादी कमोबेश पिछले वर्ष के स्तर पर ही बनी रही (परिशिष्ट सारणी III.37)।

3.117 अखिल - भारतीय ऋण-जमा अनुपात (सी-डी अनुपात) (मंजूरी के अनुसार) मार्च 2006 के अंत के 72.4 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 75.0 प्रतिशत हो गया। दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों का ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश और ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर से ऊँचा बना रहा (चार्ट III.27)। जहां ज्यादातर राज्यों में ऋण-जमा अनुपात में वृद्धि अखिल भारतीय ढर्रे पर हुई, वहीं मेघालय, बिहार, उड़ीसा, अंदमान तथा निकाबार द्वीपसमूहों, महाराष्ट्र, दादरा तथा नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी जैसे कुछ राज्यों के ऋण-जमा अनुपात में मध्यम से तीव्र गिरावट देखी गई (परिशिष्ट सारिणी III.39)। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा चंडीगढ़ सहित छः राज्यों / संघ

सारणी III.49: कुल जमाराशियों में तथा समग्र बैंक ऋण में शीर्ष के सौ केंद्रों का हिस्सा

(प्रतिशत)

मार्च के अंत म	जमाराशियां		क्रेडिट	
	कार्यालय	राशि	कार्यालय	राशि
1	2	3	4	5
2000	21.9	59.0	21.5	74.7
2001	22.3	58.9	21.9	75.3
2002	22.5	59.1	22.1	77.0
2003	22.7	61.0	22.4	75.9
2004	23.1	63.6	22.9	75.5
2005	23.8	65.3	23.7	75.9
2006	24.2	67.0	24.0	76.5
2007	24.9	68.9	24.8	77.4

स्रोत : मूल सांख्यिकी विवरणी - 7

चार्ट III.26: बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय वितरण

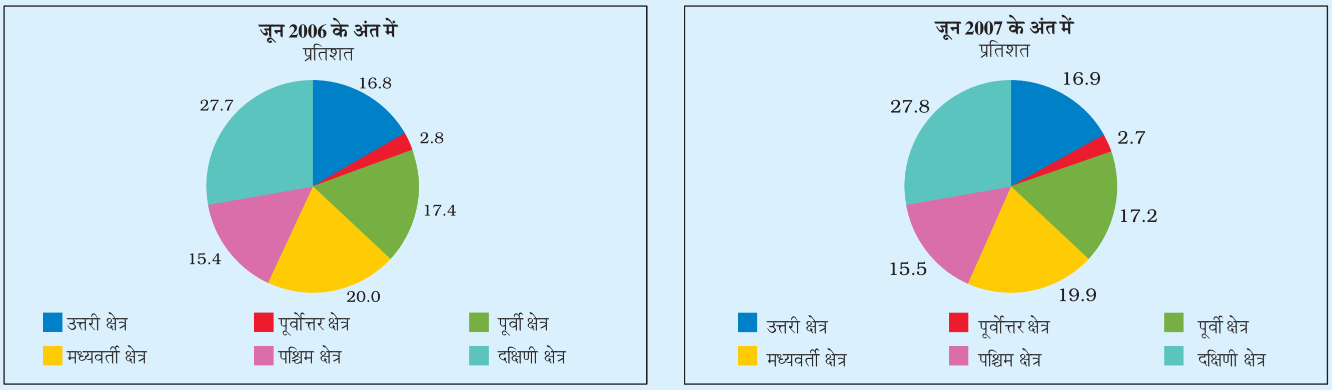

शासित प्रदेशों का मंजूरी के अनुसार मार्च 2007 के अंत में ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर से अधिक था।

3.118 ऋण-जमा अनुपात (सी -डी आर) का व्यापक प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में ऋण अवशोषण के सूचक के रूप में किया गया है। हाल ही के वर्षों में क्षेत्र/राज्यवार ऋण-जमा अनुपात में व्यापक घट-बढ़ परिलक्षित हुआ है (बॉक्स III.14)। पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने तथा विभिन्न राज्यों / क्षेत्रों के बीच ऋण-जमा अनुपात में व्यापक असमानता को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि वे ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी शाखाओं में अलग-अलग 60 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात हासिल करें। नब्बे के दशक के प्रारंभ में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल तथा पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश में, जहां ऋण-जमा अनुपात में गिरावट आ रही है वहां

चार्ट III.27: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का क्षेत्रवार ऋण-जमा अनुपात तथा निवेश और ऋण-जमा अनुपात

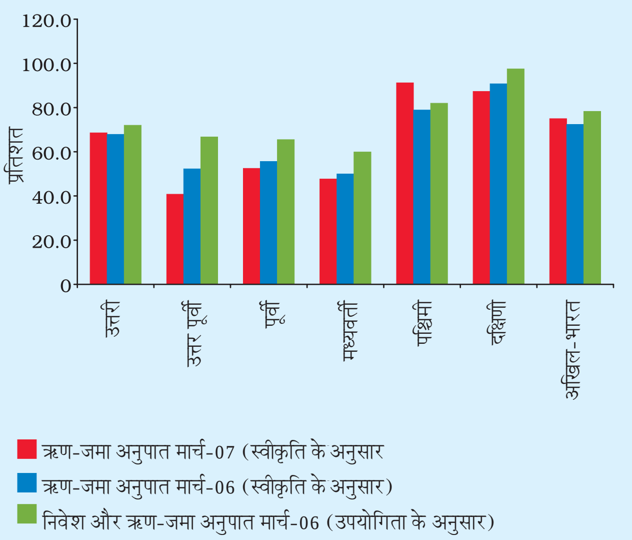

उसमें सुधार लाने के उपाय करने के लिए कार्यदल गठित किए गए थे। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात में सुधार करने तथा वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करने और वित्तीय समावेशन का ऊँचा स्तर हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में राज्य विशेष की निगरानी योग्य एक समुचित कार्य योजना तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति (अध्यक्ष : श्रीमती ऊषा थोरात) भी गठित की गई थी। इसके अलावा जिन राज्यों में ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत से कम है वहां इसमें सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह (अध्यक्ष : श्री वाई.एस.पी. थोरात) का गठन किया गया था।

भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

3.119 अक्तूबर 2007 के अंत में भारत में 29 विदेशी बैंक काम कर रहे थे जिनकी 273 शाखाएं थीं (सारणी III.50)। ये बैंक 19 देशों के हैं। इसके अलावा, भारत में 34 विदेशी बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से काम करते रहे। जुलाई 2006 से जून 2007 के दौरान सात मौजूदा विदेशी बैंकों को भारत में अपनी 20 शाखाएं तथा7 सात विदेशी बैंकों को प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का अनुमादेन दिया गया।

3.120 जुलाई 2006 से अक्तूबर 2007 के दौरान छः विदेशी बैंकों अर्थात, एबीएन एमरो बैंक, बर्कलेज बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन, शिन्हन बैंक, डयूश बैंक एजी तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने कुल 13 शाखाएं खोलीं। इसके अलावा, चार विदेशी बैंकों अर्थात, बैंको बिल्बाओ विज्काया अर्जेंटैरिया (बीबीवीए), बैंका डि रोमा, डेप्फा बैंक पीएलसी; तथा नेशनल आस्ट्रेलिया बैंक लि. ने इस अवधि के दौरान मुंबई में चार प्रतिनिधि कार्यालय खोले। बीएनपी पारिबस द्वारा बैंका नेशनेल डेल लावोरो (बीएनएल) के विश्वस्तरीय अधिग्रहण के परिणामस्वरूप बीएनएल ने नई दिल्ली एवं चेन्नै स्थित अपने उप-कार्यालयों और मुंबई स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय को मार्च 2007 में बंद कर दिया।

बॉक्स III.4: ऋण-जमा अनुपात में क्षेत्र/राज्यवार प्रवृत्तियां

ऋण-जमा अनुपात (मंजूरी के अनुसार) के क्षेत्रवार विश्लेषण से यह पता चला है कि वर्ष 1997-2007 के दौरान यह अनुपात उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सबसे कम और उसके बाद मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों का स्थान था। दूसरी तरफ, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में ऋण -जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर से लगातार ऊंचा बना रहा। उत्तरी क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात अखिल भारतीय स्तर के आसपास सीमित दायरे में ऊपर-नीचे होता रहा। वर्ष 1997-2003 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र का ऋण-जमा अनुपात मार्च 1997 के 31.2 प्रतिशत के स्तर से लगभग लगातार गिरावट के बाद मार्च 2003 में 26.8 प्रतिशत रह गया था। यही प्रवृत्ति मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में भी देखी गई (चार्ट 1)।

चार्ट 1: 1997 से 2007 के दौरान क्षेत्रवार सी-डी अनुपात
(मंजूरी के अनुसार)

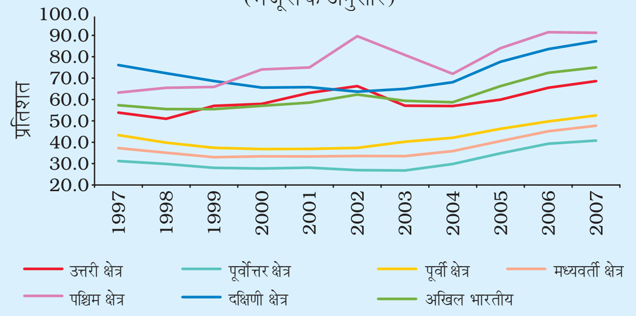

वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात (मंजूरी के अनुसार) के क्षेत्रवार विश्लेषण से यह पता चलता है कि वर्ष 1998-2007 के दौरान जहां यह अनुपात उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सबसे कम था, वहीं इन वर्षों में ज्यादातर समय पश्चिम क्षेत्र में यह अनुपात सबसे अधिक था। उत्तर-पूर्व, मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात में वर्ष 2005 तक वृद्धि का दौर चलता रहा लेकिन इसके बाद उसमें गिरावट देखी गई (चार्ट 2)।

मंजूरी के अनुसार ऋण-जमा अनुपात (सीडीआरएस) तथा उपयोगिता के अनुसार ऋण-जमा अनुपात (सीडीआरयू) के बीच अंतर किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवल ऋण प्रवाह को प्रदर्शित करता है (धनात्मक अंतर ऋण के बाह्य प्रवाह का तथा ऋणात्मक अंतर ऋण के आंतरिक प्रवाह का द्योतक है)। ऋण के स्थानांतरण को इस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि बड़े उधारकर्ताओं के कार्पोरेट कार्यालय एवं बड़े उधारकर्ताओं के साथ लेनदेन करने वाली बैंक शाखाएं चुनिंदा प्रमुख वित्तीय केंद्रों पर स्थित हैं, जबकि उधार ली गई निधि का उपयोग जिन औद्योगिक इकाइयों और परियोजनाओं के लिए किया जाता है वे अन्यत्र स्थित होती हैं। वर्ष 1999-2006 के दौरान ऋण-जमा अनुपात के अंतर (अर्थात सीडीआरएस -सीडीआरयू) से यह प्रदर्शित होता है कि ऋण के उपयोग के हिसाब से पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के लिए निधियों का प्रदाता रहा जिससे ऋण-जमा अनुपात का अंतर मार्च 1999 के 0.9 प्रतिशत अंक से बढ़कर मार्च 2006 में 13.1 प्रतिशत अंक हो गया। यह पूरी तरह महाराष्ट्र के कारण हुआ (सीडीआरएस का स्तर सीडीआरयू से ऊँचा रहा)। वर्ष 2002 तथा 2003 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात का अंतर क्रमशः - 26.0 प्रतिशत अंक तथा - 20.7 प्रतिशत अंक था। उत्तरी क्षेत्र की स्थिति जहां वर्ष 2003 तक उपयोगिता के अनुसार ऋण का उछाल महसूस किया गया था वहां उसके बाद 2004 से निवल निधि अंतर्प्रवाह के साथ स्थिति विपरीत हो गई। तदनुसार, मार्च 2006 में सीडीआरयू मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के कारण सीडीआरएस से 3.2 प्रतिशत अंक अधिक था (चार्ट 3)।

ऋण-जमा अनुपात (मंजूरी के अनुसार) के राज्यवार विश्लेषण से भी व्यापक घट-बढ़ का पता चलता है। उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में हिमाचल प्रदेश में ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक कम दर्ज किया गया जो वर्ष 2003 तक 25 प्रतिशत से कम था, हालांकि बाद में बढ़कर यह मार्च 2007 में 41.5 प्रतिशत हो गया। दूसरी तरफ, चंडीगढ़ और दिल्ली का ऋण-जमा अनुपात बहुत अधिक था। वर्ष 2002-04 के दौरान चंडीगढ़ में यह अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था। उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड में ऋण-जमा अनुपात सबसे कम दर्ज किया गया। हाल के वर्षों में कुछ वृद्धि होने के बावजूद मार्च 2007 में मणिपुर और त्रिपुरा का ऋण-जमा अनुपात मार्च 1997 के अनुपात से कम था। असम का ऋण-जमा अनुपात मार्च 1997 के 35.2 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2003 में 28.6 प्रतिशत रह गया, लेकिन मार्च 2007 तक सुधरकर 43.3 प्रतिशत हो गया। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में सिक्किम का ऋण-जमा अनुपात सबसे कम पाया गया। पश्चिम बंगाल का ऋण जमा अनुपात, जो वर्ष 2004 तक 50 प्रतिशत से कम रहा, मार्च 2007 तक बढ़कर 62.6 प्रतिशत हो गया। मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड में ऋण-जमा अनुपात सबसे कम था। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ के ऋण-जमा अनुपात में सुधार हुआ है और वह मार्च 2007 में 53.0 प्रतिशत था। पश्चिमी क्षेत्र में गोवा में यह अनुपात न्यूनतम दर्ज किया गया। इस क्षेत्र में महाराष्ट्र का ऋण-जमा अनुपात उच्चतम रहा जिसके बाद काफी अंतर से गुजरात का स्थान रहा। दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में तमिलनाडु का ऋण-जमा अनुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया जिसके बाद आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक रहे जबकि केरल में ऋण जमा अनुपात सबसे कम (मार्च 2004 तक 50 प्रतिशत से कम था, मार्च 2007 में 63.6 प्रतिशत) था।

चार्ट 2: 1998 से 2007 के दौरान क्षेत्रवार सी-डी अनुपात
(मंजूरी के अनुसार)

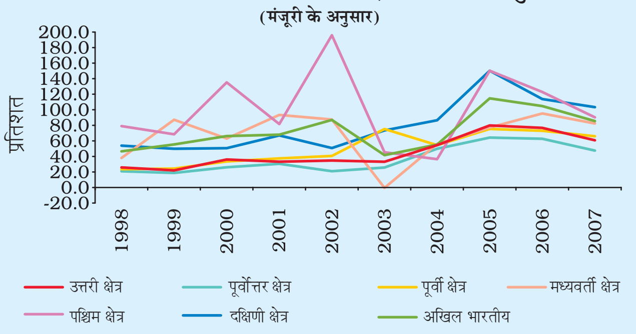

चार्ट 3: 1999-2006 के दौरान मंजूरी तथा उपभोग के अनुसार सी-डी अनुपात में क्षेत्रवार अंतर

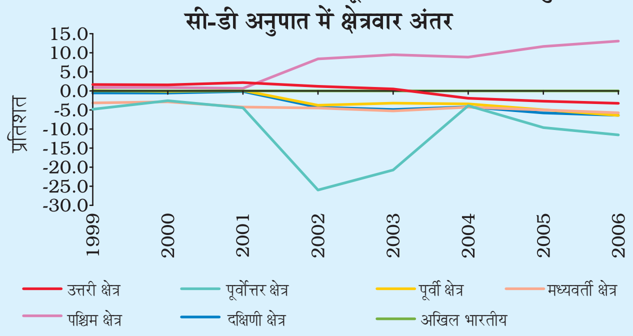

सारणी III.50: भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की देशवार सूची
(अक्तूबर 2007 के अंत में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	निगमित देश	भारत में शाखाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	एबीएन एमरो बैंक एनवी	नीदरलैंड	28
2.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.	यूएई	2
3.	अरब बांग्लादेश बैंक लि.	बांग्लादेश	1
4.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	यूएसए	7
5.	एंटवेर्प डायमंड बैंक	बेल्जियम	1
6.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	1
7.	बैंक ऑफ अमरीका	यूएसए	5
8.	बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी एस सी	बहरीन	2
9.	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	कनाडा	5
10.	बैंक ऑफ टोकियो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमि.	जापान	3
11.	बीएनपी परिबास	फ्रांस	8
12.	बैंक ऑफ सिलोन	श्रीलंका	1
13.	बरकलेज बैंक पीएलसी	यूके	4
14.	काल्यन बैंक	फ्रांस	5
15.	सिटी बैंक एन ए	यूएसए	39
16.	चाइनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक	ताईवान	1
17.	ड्यूश बैंक	जर्मनी	11
18.	डीबीएस बैंक लि.	सिंगापुर	2
19.	एचएसबीसी	हांगकांग	47
20.	जेपी मोर्गन चेस बैंक एन. ए	यूएसए	1
21.	क्रुंग थाई बैंक पब्लिक कं. लि.	थाईलैंड	1
22.	मिजुहो कार्पोरेट बैंक लिमि.	जापान	2
23.	मशरेक बैंक पीएससी	यूएई	2
24.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	सुल्तान ऑफ ओमान	2
25.	शिनहन बैंक	साउथ कोरिया	2
26.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	यूके	83
27.	सोनाली बैंक	बांग्लादेश	2
28.	सोसाइटे जनरेल	फ्रांस	2
29.	स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस	मॉरिशस	3
	कुल		**273**

विदेश में भारतीय बैंकों का परिचालन

3.121 इस अवधि में भारतीय बैंकों का विदेशों में तेजी से विस्तार का क्रम जारी रहा। वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के नौ बैंकों तथा निजी क्षेत्र के दो नए बैंकों ने मुख्यतः एशिया तथा मध्य-पूर्व देशों में दस शाखाएं, दो अनुषंगी कार्यालय, छः प्रतिनिधि कार्यालय और एक संयुक्त उद्यम इकाई खोली।

3.122 सोलह भारतीय बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र के 11 तथा निजी क्षेत्र के 5 बैंक) ने अक्तूबर 2007 के अंत में विदेशों में 192 कार्यालयों (125 शाखाएं, 39 प्रतिनिधि कार्यालय, 7 संयुक्त उद्यम तथा 21 अनुषंगी कंपनियां) के नेटवर्क के माध्यम से काम किया (सारणी III.51)। विदेशों में बैंक ऑफ बड़ौदा की उपस्थिति (20 देशों में 43 शाखाएं, आठ अनुषंगी, 4 प्रतिनिधि कार्यालय और एक संयुक्त उद्यम बैंक) सबसे अधिक थी, जिसके बाद क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक (29 देशों में 33 शाखाएं, 6 अनुषंगी, 7 प्रतिनिधि कार्यालय तथा 4 संयुक्त उद्यम बैंक) और बैंक ऑफ इंडिया (14 देशों में 22 शाखाएं, दो अनुषंगी, तीन प्रतिनिधि कार्यालय तथा एक संयुक्त उद्यम बैंक) का स्थान रहा।

3.123 जुलाई 2006 से अक्तूबर 2007 के दौरान कोई नई ओवरसीज बैंकिंग यूनिट नहीं खोली गई। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक तथा कैनरा बैंक जैसे छः बैंकों की 7 ओवरसीज बैंकिंग इकाइयां सीप्ज (मुंबई), नोएडा तथा कोच्चि जैसे तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से काम करती रहीं।

सारणी III.51: भारतीय बैंकों का विदेश में परिचालन

(वास्तविक रूप से परिचालनात्मक)

बैंक का नाम	शाखा		अनुषंगी		प्रतिनिधि-कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सरकारी क्षेत्र के बैंक	**106**	**116**	**15**	**19**	**24**	**26**	**6**	**7**	**151**	**168**
1. इलाहाबाद बैंक	–	1	–	–	1	1	–	–	1	2
2. आंध्र बैंक	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
3. बैंक ऑफ बड़ौदा	40	43	7	8	3	4	1	1	51	56
4. बैंक ऑफ इंडिया	20	22	1	2	4	3	1	1	26	28
5. भारत ओवरसीज बैंक	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
6. केनरा बैंक	1	2	1	1	1	1	–	–	3	4
7. इंडियन बैंक	3	3	–	–	–	–	–	–	3	3
8. इंडियन ओवरसीज बैंक	5	6	1	1	2	2	–	–	8	9
9. पंजाब नैशनल बैंक	1	1	–	1	4	4	1	1	6	7
10. भारतीय स्टेट बैंक	30	33	5	6	7	7	3	4	45	50
11. सिंडिकेट बैंक	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1
12. यूको बैंक	4	4	–	–	1	2	–	–	5	6
13. यूनियन बैंक	उ.न.	–	उ.न.	–	उ.न.	1	उ.न.	–	उ.न.	1
II. निजी क्षेत्र के नए बैंक	**6**	**9**	**4**	**3**	**10**	**13**	**1**	**–**	**21**	**25**
14. एक्सिस बैंक	1	3	–	–	–	1	–	–	1	4
15. सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	–	–	1	–	–	1	1	–	2	1
16. एचडीएफसी बैंक लि.	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1
17. आइसीआइसीआइ बैंक लि.	5	6	3	3	7	8	–	–	15	17
18. इंडसइंड बैंक लि.	–	–	–	–	2	2	–	–	2	2
कुल	**112**	**125**	**19**	**22**	**34**	**39**	**7**	**7**	**172**	**193**

– : कुछ नहीं/नगण्य. उ.नं. - उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : 2005-06 के आंकड़े सितंबर के अंत से संबंधित हैं जबकि 2006-07 के आंकड़े अगस्त 2007 के अंत से संबंधित हैं।

9. ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेश

3.124 उचित कीमत पर ग्राहक सेवा में सुधार करने के उद्देश्य से हाल ही के वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के बीच ग्राहक सुरक्षा तथा प्रकटन को बढ़ाना, आचार संहिता, शिकायत निवारण शामिल हैं। इसी के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग की पहुँच जनसंख्या के बड़े हिस्सों तक ले जाने की दिशा में भी संगठित प्रयास कर रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के प्रयोजन से अपने दिशानिर्देशों को बेहतर रूप से सुव्यवस्थित किया है।

3.125 विभिन्न बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में 01 जुलाई 2006 से 30 जून 2007 तक उनके कार्यक्षेत्रों में स्थित वाणिज्य बैंकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों को एकत्र किया गया है और उन्हें जमा लेखा, विप्रेषण, क्रेडिट कार्ड, ऋण/अग्रिम (सामान्य एवं आवास ऋण), पूर्व सूचना के बिना प्रभार, पेंशन, दी गई वचनबद्धताओं को पूरा न किया जाना, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए), नोट एवं सिक्के तथा अन्य जैसे दस व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान जहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के संबंध में अधिकतम शिकायतें जमा लेखा से जुड़ी थीं वहीं निजी क्षेत्र के नए बैंकों तथा विदेशी बैंकों से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें क्रेडिट कार्ड को लेकर थीं। इसके बाद सबसे अधिक शिकायतें ऋण तथा अग्रिम (सामान्य) तथा पूर्व सूचना के बिना प्रभारों से संबंधित थीं। काफी शिकायतें पेंशन (विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) तथा डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों (विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नए बैंक) से भी संबंधित थीं (सारणी III.52 तथा परिशिष्ट सारणी III.39)।

3.126 अगर क्षेत्रवार देखें तो मुंबई स्थित बैंकिंग लोकपाल कार्यालय को सर्वाधिक शिकायतें प्राप्त हुई (5,525), जिससे थोड़ा कम नई दिल्ली (5,481) तथा कानपुर (4,321) स्थित बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों को प्राप्त हुईं। सबसे कम शिकायतें गुवाहाटी

सारणी III.52: बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त बैंकसमूहवार शिकायतें

शिकायतों का स्वरुप	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (3+6+9)	सरकारी क्षेत्र के बैंक (4+5)	राष्ट्रीकृत बैंक	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र बैंक (7+8)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल प्राप्त शिकायतें (1 to 10)	**34,499**	**21,660**	**10,543**	**11,117**	**9,036**	**825**	**8,211**	**3,803**
1) जमा खाता	5,578	3,664	2,126	1,538	1,591	182	1,409	323
2) प्रेषण	3,919	2,918	1,408	1,510	813	94	719	188
3) क्रेडिट कार्ड	7,669	3,265	611	2,654	2,217	54	2,163	2,187
4) ऋण / अग्रिम (क+ख)								
क) सामान्य	4,169	2,842	1,621	1,221	1,046	159	887	281
ख) आवास ऋण	649	366	205	161	233	13	220	50
5) बिना पूर्व सूचना के प्रभार	2,527	1,434	662	772	915	47	868	178
6) पेंशन	1,056	1,039	523	516	14	6	8	3
7) की गयी वचनबद्धता न निभाना	1,402	1,006	567	439	314	41	273	82
8) प्रत्यक्ष बेचनेवाले एजेंट	1,026	628	330	298	357	40	317	41
9) नोट और सिक्के	126	104	69	35	20	2	18	2
10) अन्य	6,378	4,394	2,421	1,973	1,516	187	1,329	468

(170) तथा भुवनेश्वर (689) कार्यालयों को प्राप्त हुईं। अन्य सभी कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या 1,000 तथा 3,000 के बीच रहीं (सारणी III.53)।

3.127 रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004 से वित्तीय समावेशन की दिशा में संगठित प्रयास किया है। तदनुसार, बैंकिंग सेवाएं जनसंख्या के बड़े हिस्सों तक पहुँचाने के लिए नवंबर 2005 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एक मूल ठनो-फ्रिल्सड खाता उपलब्ध कराएं जिसमें न्यूनतम या शून्य शेष तथा प्रभार हो। इसके अनुपालन में तमाम बैंकों ने 'नो-फ्रिल्सट खातों को शुरू कर दिया है। मार्च 2006 के अंत से मार्च 2007 के अंत तक लगभग 60 लाख नए 'नो-फ्रिल्सट खाते खोले गए। ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपने व्यापक शाखा नेटवर्क की बदौलत इन नए 'नो-फ्रिल्स' खातों में अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का था। ये बैंक वित्तीय समावेशन को तीव्र प्रतिस्पर्धा के माहौल में ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय के भारी अवसर के नजरिए से देख रहे हैं।

सारणी III.53: 2006-07 के दौरान बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त क्षेत्र-वार शिकायतें

क्रम सं.	कार्यालय	प्राप्त शिकायतों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	2,107
2.	बेंगलूर	2,406
3.	भोपाल	2,731
4.	भुबनेश्वर	689
5.	चण्डीगढ़	2,006
6.	चेन्नै	2,387
7.	गुवाहाटी	170
8.	हैदराबाद	2,767
9.	जयपुर	2,976
10.	कानपुर	4,321
11.	कोलकाता	2,011
12.	मुंबई	5,525
13.	नई दिल्ली	5,481
14.	पटना	1,481
15.	तिरुवनंतपुरम	1,580
	कुल	**38,638**

10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3.128 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऐसी संस्था के रूप में परिकल्पित किया गया था जिसमें सहकारी संस्थाओं का स्थानीय स्पर्श, आपसदारी तथा वाणिज्यक बैंकों की व्यावसायिक संगठनात्मक क्षमता का मिश्रण हो। भारत में कृषि तथा ग्रामीण ऋण के प्रति बहु-एजेंसी दृष्टिकोण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक विशेष स्थान है। स्थानीय संस्था होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। कृषि तथा ग्रामीण ऋण प्रदान करने में बहु एजेंसी दृष्टिकोण से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तदनुसार, तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को दो गुना करने के लिए जून 2004 में भारत सरकार द्वारा घोषित नीतिगत पैकेज में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की क्षमता और कार्यप्रणाली में सुधार करने तथा इसके जरिए उन्हें अपना मुख्य लक्ष्य पूरा करने के प्रति समर्थ बनाने के लिए सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे में बदलाव किया। नए

क्षेत्रों में उनके व्यवसाय को बहुआयामी बनाने के लिए रिज़र्व बैंक तथा नाबार्ड द्वारा कई नीतिगत पहल किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नए निदेश देने के लिए सरकार ने 25 जनवरी 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा थी। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपनी जमाराशि आधार और ऋण-जमा अनुपात का स्तर 56 प्रतिशत से ऊपर उठाएं। इसके लिए उन्हें प्राथमिकता प्राप्त तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दोनों की उभरती हुई संभावना का उपयोग करना चाहिए (अध्याय II)। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने तथा उन्हें विशेषतः वित्तीय रूप से सशक्त एवं प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार ने ऋणात्मक निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूंजीकरण पर विचार किया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन

3.129 कृषि तथा संबद्ध कार्यों को ऋण प्रवाह पर बनी सलाहकार समिति (अध्यक्ष : प्रो. वी.एस. व्यास) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परिचालनात्मक सक्षमता में सुधार करने तथा बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ढांचा फिर से तैयार करने की सिफारिश की। इसी क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की जांच-पड़ताल करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर एक आंतरिक कार्य दल का गठन किया। भारतीय वित्तीय प्रणाली में ऋण प्रदान करने के एक प्रभावी उपकरण के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति पुनः निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकारों, तथा प्रायोजक बैंकों से विचार-विमर्श के बाद सितंबर 2005 में राज्य स्तरीय प्रायोजक बैंकवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की दिशा में पहल की थी ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में व्याप्त कमियों को दूर करके उन्हें सक्षम और लाभप्रद इकाइयां बनाया जा सके। 12 सितंबर 2005 से भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों में 19 बैंकों द्वारा प्रायोजित 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 46 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समामेलन करने के पश्चात, 31 अगस्त 2007 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या 196 से घटकर 95 हो गई।

3.130 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार 45 समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सीमा में आने वाले कुल जिलों की संख्या 357 थी। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की सीमा में 2 से 25 जिले रहे। 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या 10,563 थी। इन समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा नेटवर्क काफी बड़ा था जिसमें शाखाएं 50 से 677 तक थीं।

3.131 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचागत समेकन के फलस्वरूप नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण हुआ है जो व्यावसायिक मात्रा तथा विस्तार के अनुसार वित्तीय रूप से सशक्त तथा स्वरूप की दृष्टि से बड़े हैं जिससे वे बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाते हुए अपनी परिचालनात्मक लागत कम कर सकते हैं। अपने स्थानीय स्पर्श और परिचय का लाभ उठाते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण विकास तथा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हासिल करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में हैं।

3.132 केंद्रीय बजट 2007-08 में यह घोषित किया गया था कि ऋणात्मक निवल मालियत वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चरणबद्ध तरीके से पुनःपूंजीकृत किया जाएगा। चयनित प्रायोजक बैंकों तथा नाबार्ड के साथ विचार-विमर्श करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनःपूंजीकृत करने के तौर-तरीके बनाए जा रहे है।

3.133 भारत सरकार ने 17 मई 2007 को जारी एक अधिसूचना में 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' को सरफेसाई एक्ट, 2002 के प्रयोजन के लिए एक, बैंक के रूप में माना है।

3.134 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाने के लिए रिज़र्व बैंक उन्हें मजबूत करने तथा उनके कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए समय-समय पर उपाय करता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भागीदार के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका निर्धारित करने में प्रायोजक बैंकों की निर्णायक भूमिका पर विचार करते हुए तथा प्रायोजक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच सहक्रिया (सिनर्जी) को बढ़ावा देने के लिए रिज़र्व बैंक ने सभी प्रायोजक बैंकों को सूचित किया था कि वे अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मानव संसाधन (एच आर), सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) तथा परिचालन से जुड़े मुद्दों पर कदम उठाएं।

परिचालनात्मक सक्षमता में सुधार के उपाय

3.135 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने तथा निर्णय लेने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल को और शक्तियां तथा लचीलापन प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2006 में परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण पर एक कार्यबल का गठन किया था (अध्यक्ष : डॉ. के.जी. कर्माकर)। इस कार्यबल का गठन ऐसे क्षेत्रों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए किया गया था जहां निदेशक मंडलों को विशेष रूप से निवेश, व्यवसाय विकास तथा कर्मचारियों जैसे कर्मचारी संख्या का निर्धारण, नई भर्ती, पदोन्नति आदि के मामलों में और स्वायत्तता दी जा सके। इस कार्यबल ने 31 जनवरी 2007 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परिचालनात्मक लचीलेपन के संबंध में अनेक सिफारिशें (बॉक्स III.5) की थीं। कार्यबल की कुछ सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष विचाराधीन हैं।

बॉक्स III.5: परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण संबंधी कार्यबल

परिचालनात्मक सक्षमता के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों के सशक्तीकरण पर बने कार्यबल (अध्यक्ष : डॉ. के.जी. कर्माकर) ने जनवरी 2007 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

- समामेलन के बाद बड़े आकार वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में चयनित आधार पर उनके निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या बढ़ाकर 15 की जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष का चयन अर्हता प्राप्त अधिकारियों के पैनल से गुणवत्ता के आधार पर किया जाए।
- निदेशक मंडल के सदस्यों का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष तथा अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का हो।
- नामित निदेशकों की कार्यावधि प्रत्येक दो वर्ष की दो अवधियों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडल में ग़ैर-आधिकारिक निदेशकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज तथा नामित निदेशकों के रूप में उनके उत्तरदायित्वों के प्रति अभिमुख करने की जरूरत है।
- समामेलन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूंजी पर्याप्तता के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुरक्षाओं तथा विनियामक मानदंडों के उसी स्तर को पूरा करना होगा जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निम्नलिखित समितियां होनी चाहिए (i) जोखिम प्रबंधन समिति (ii) प्रबंधन समिति (iii) निवेश, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी समिति तथा (iv) लेखा-परीक्षा समिति।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष को रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति (ई सी) के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया जाना चाहिए।
- शाखाओं के वर्गीकरण, कर्मचारियों से संबंधित मानदंड तथा पदोन्नति नीति तथा अन्य मानव संसाधन से जुड़े मामलों से संबंधित विषयों का अध्ययन इस प्रयोजन से रिज़र्व बैंक / भारत सरकार द्वारा गठित समिति / कार्यबल द्वारा गहराई से किया जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कार्ययोजना बनाकर शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय में परिचालन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आइ एस) के प्रमुख क्षेत्रों में अगले 3 वर्षों में कंप्यूटरीकरण का काम शुरू करना चाहिए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजक बैंक के साथ अन्य बातों के साथ एनआरई / एफसीएनआर (बी) / एफसीआरए, जमा प्रमाणपत्रों के मामलों में भी काम करने की अनुमति दी जाए और उन्हें अपना धन किसी बैंक में सावधि जमा के रूप में रखने की स्वतंत्रता दी जाए।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / विकास वित्त संस्थाओं (डीएफआइ) के साथ कंसोर्टियम वित्त में शामिल हो सकते हैं।
- सरफेसाई एक्ट, 2002 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर भी लागू हो।
- आयकर अधिनियम की धारा 80 (पी) के अंतर्गत किए गए उपबंध आगे 5 वर्ष तक या पुनर्विन्यास प्रक्रिया पूरी होने तक, इनमें से जो पहले हो, जारी रखे जाएं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

3.136 नीतिगत उपायों तथा व्यवसाय के बदलते परिवेश के फलस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका तथा वित्तीय कार्य निष्पादन विकसित हो रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकित तुलन पत्र में वर्ष 2005-06 के दौरान 15.1 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान 18.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी III.54)। आस्तियों के मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवल अग्रिमों में इस अवधि के दौरान 22.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। देयता पक्ष की प्रमुख मदों में इस

सारणी III.54: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए)

मद	31,मार्च 2006	31,मार्च 2007P	प्रतिशत घटबढ़	मद	31,मार्च 2006	31,मार्च 2007P	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5	6	7	8
देयताएं	**89,645**	**105,768**	**17.99**	**आस्तियां**	**89,645**	**105,768**	**17.99**
शेयर पूंजी	196	196	–	उपलब्ध नकदी	1,033	1,216	17.72
आरक्षित निधियां	4,271	4,902	14.77	भा.रि. बैंक के पास शेष	3,519	4,886	38.85
शेयर पूंजी जमा राशि	2,180	2,188	0.37	अन्य बैंक शेष	16,258	20,359	25.22
जमाराशि	**71,329**	**83,147**	**16.57**	अन्य निवेश	24,925	25,307	1.53
चालू	3,953	4,764	20.52	ऋण तथा अग्रिम (निवल)	38,520	47,326	22.68
बचत	38,233	46,122	20.63	अचल आस्तियां	178	196	10.11
मीयादी	29,143	32,261	10.70	अन्य आस्तियां#	5,214	6,478	24.24
से उधार	**7,303**	**9,773**	**33.82**				
नाबार्ड	6,301	7,525	19.43				
प्रवर्तक बैंक	959	1,998	108.34				
अन्य	43	250	481.40				
अन्य देयताएं	4,367	5,562	27.36				
ज्ञापन मदें:							
क. ऋण-जमा अनुपात	55.7	58.5					
ख. निवेश-जमा अनुपात	57.7	45.8					
ग. (ऋण + निवेश) - जमा अनुपात	113.4	104.3					

अ: अनंतिम – : कुछ नहीं/नगण्य. # : संचित हानि सहित ।
स्रोत : नाबार्ड।

वर्ष के दौरान उधार में 33.8 प्रतिशत तथा कुल जमाराशि में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.137 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के बाद लाभ अर्जित करने वाले तथा घाटा उठाने वाले दोनों प्रकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या मार्च 2006 के अंत के क्रमशः 111 तथा 22 की तुलना में घटकर मार्च 2007 के अंत में क्रमशः 81 तथा 15 हो गई (सारणी III.55)। वर्ष 2006-07 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ब्याज तथा अन्य आय में वृद्धि की गति उतनी नहीं थी, जितनी गति प्रावधानों तथा आकस्मिक व्ययों और वेतन बिलों में तीव्र वृद्धि के कारण व्यय में हुई तेज वृद्धि की थी। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निवल लाभ, वर्ष 2005-06 के 617 करोड़ रुपए से घटकर, वर्ष 2006-07 के दौरान 596 करोड़ रुपए रह गया ।

सारणी III.55: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

विवरण	2005-06			2006-07 अ		कुल	घटबढ़
	घाटे में चल रहे [22]	लाभ में चल रहे [111]	क्षे.ग्रा.बैं. [133]	घाटे में चल रहे [15]	लाभ में चल रहे [81]	क्षे.ग्रा.बैं. [96]	स्तंभ (4) पर स्तंभ (7)
1	2	3	4	5	6	7	8
क. आय (i+ii)	**723**	**5,823**	**6,546**	**997**	**6,657**	**7,653**	**1,107 (16.91)**
i) ब्याज आय	672	5,441	6,113	932	6,182	7,113	1,000 (16.36)
ii) अन्य आय	51	382	433	65	475	540	107 (24.71)
ख. व्यय (i+ii+iii)	**912**	**5,017**	**5,929**	**1,298**	**5,759**	**7,057**	**1,128 (19.03)**
i) ब्याज व्यय	471	2,790	3,261	642	3,074	3,716	455 (13.95)
ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	65	246	311	192	445	636	325 (104.50)
iii) परिचालनगत व्यय	376	1,981	2,357	464	2,240	2,705	348 (14.76)
जिसमें से : वेतन बिल में से (iii)	309	1,539	1,848	391	1,660	2,051	203 (10.98)
ग. लाभ							
i) परिचालन लाभ/हानि [क - ख (i) - ख (iii)]	**-126**	**1,054**	**928**	**-109**	**1,341**	**1,232**	**304 (32.76)**
ii) निवल लाभ (क - ख)	**-191**	**808**	**617**	**301**	**897**	**596***	**-21 (-3.40)**
घ. कुल आस्तियां	**11,747**	**77,898**	**89,645**	**16,148**	**89,620**	**105,768**	**16,123 (17.99)**
ङ. वित्तीय अनुपात @							
i) परिचालन लाभ	-1.07	1.35	1.04	-0.67	1.49	1.16	
ii) निवल लाभ	-1.63	1.04	0.69	-1.86	1.00	0.56	
iii) आय	6.15	7.48	7.30	-6.17	7.42	7.23	
क) ब्याज आय	5.72	6.98	6.82	5.77	6.89	6.72	
ख) अन्य आय	0.43	0.49	0.48	0.40	0.53	0.51	
iv) व्यय	7.76	6.44	6.61	8.03	6.42	6.67	
क) ब्याज व्यय	4.01	3.58	3.64	3.97	3.43	3.51	
ख) परिचालन व्यय	3.20	2.54	2.63	2.87	2.49	2.55	
जिसमें से: वेतन बिल	2.63	1.98	2.06	2.42	1.85	1.93	
v) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	0.55	0.32	0.35	1.18	0.49	0.60	
vi) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय			7.28			6.39	
vii) निवल अनर्जक आस्तिया			3.98			3.41	

अ : अनंतिम

@ : कुल आस्तियों के अनुपात।

* : कर के पहले

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या दर्शाते हैं। स्तंभ 8 में कोष्ठक के आंकड़े वर्ष के दौरान प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी III.56: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबारी तथा वित्तीय संकेतक

संकेतक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	196	196	196	196	196	133 #	96 #
निवल लाभ (करोड़ रुपए)	601	608	519	769	748	617	593*
प्रति शाखा उत्पादकता[1] (करोड़ रुपए)	3.8	4.4	5.0	5.7	6.6	7.7	9.1
प्रति कर्मचारी उत्पादकता[2] (करोड़ रुपए)	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9
आस्तियों के प्रतिशत के रुप में संचित हानि	5.6	4.7	4.4	3.9	3.5	2.9	2.9
आस्तियों के प्रतिशत के रुप में वेतन	2.0	2.2	2.3	2.6	2.0	2.1	1.9
वित्तीय विवरणी[3] (प्रतिशत)	9.4	10.6	9.6	8.9	8.2	7.7	7.7
वित्तीय लागत[4] (प्रतिशत)	6.0	6.8	6.1	5.4	4.6	4.1	4.1
वित्तीय मार्जिन[5] (प्रतिशत)	3.4	3.8	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6
जोखिम, परिचालन और अन्य लागत (प्रतिशत)	2.1	2.6	2.6	2.2	2.3	2.8	2.9
निवल मार्जिन[6] (प्रतिशत)	1.2	1.2	0.9	1.3	1.3	0.8	0.7

* : कर पूर्व

: सितंबर 2005 में आरम्भ हुए समामेलन के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या घटी है।

टिप्पणी : 1. रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्रत्येक शाखा के कारोबार (कुल जमाराशियों और सकल अग्रिमों के रुप में) का औसत स्तर
2. वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रत्येक कर्मचारी के कारोबार (कुल जमाराशियों और सकल अग्रिमों के रुप में) का औसत स्तर
3. वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधि की तुलना में अग्रिम तथा निवेश दोनों से कुल आय का प्रतिशत।
4. वर्ष के दौरान औसत कार्यशील निधि की तुलना में जमाराशियां, उधार आदि के लिए कुल ब्याज भुगतान का प्रतिशत।
5. वित्तीय विवरणी और वित्तीय लागत के बीच का अंतर।
6. वित्तीय मार्जिन और जोखिम, परिचालन और अन्य लागत तथा विविध आय के बीच का अंतर।
7. 2006-07 के आंकड़े अनंतिम हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

3.138 वसूली में सुधार की सहायता से सकल तथा निवल एन पी ए का अनुपात मार्च 2007 के अंत में तेजी से घटकर क्रमशः 6.4 प्रतिशत (मार्च 2006 के अंत के 7.3 प्रतिशत की तुलना में) तथा 3.4 प्रतिशत (4.0 प्रतिशत की तुलना में) रह गया।

3.139 वर्ष 2006-07 के दौरान प्रति शाखा तथा प्रति कर्मचारी दोनों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उत्पादकता में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई (सारणी III.56)।

3.140 2005-06 के 25,427 करोड़ रुपए की तुलना में 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 2006-07 के दौरान 32,067 करोड़ रुपए के नए ऋण प्रदान किए।इसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 82 .2 प्रतिशत था।मार्च 2007 के अंत में , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया अग्रिम 48,494 करोड़ रुपए थे तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा 81.9 प्रतिशत था (सारणी III.57)।कृषि ऋण का हिस्सा (2006-07 में 27,964 करोड़ रुपए) मार्च 2006 के अंत के 54.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 57.7 प्रतिशत हो गया।

11. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

3.141 मार्च 2006 के अंत में कार्य करने वाले चार स्थानीय क्षेत्र बैंक थे- कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि., विजयवाड़ा;कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.,फगवाड़ा, नवसारी; कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया

सारणी III.57: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन-वार बकाया अग्रिम
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

प्रयोजन	2005	2006	2007अ
1	2	3	4
I. कृषि (i से iii)	**16,710 (50.8)**	**21,509 (54.2)**	**27,964 (57.7)**
i. अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)	10,980	13,877	18,813
ii. मीयादी ऋण (कृषि तथा संबंद्ध गतिविधियों के लिए)	5,730	7,632	9,151
iii. परोक्ष अग्रिम	–	–	
II. कृषीतर (iv से vii)	**16,161 (49.2)**	**18,204 (45.8)**	**20,530 (42.3)**
iv. ग्रामीण कारीगर, *आदि*	713	748	823
v. अन्य उद्योग	580	757	835
vi. खुदरा व्यापार, *आदि*	4,364	3,452	4,152
vii. अन्य प्रयोजन	10,504	13,246	14,720
कुल (I+II)	**32,871**	**39,712**	**48,494**
ज्ञापन मदें:			
क) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	26,077	32,177	39,695
ख) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	6,794	7,535	8,799
ग) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा	79.3	81	81.9

अ :अनंतिम

– : कुछ नहीं / नगण्य

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल के प्रतिशत हैं।

स्रोत : नाबार्ड।

सारणी III.58: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की रुपरेखा

(राशि करोड़ रुपए)

बैंक	आस्तियां		जमाराशियां		सकल अग्रिम	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	252	362	215	301	135	186
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	64	63	50	45	30	32
कृष्णा भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	29	49	13	27	19	30
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि.	19	23	12	15	13	14

स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणी पर आधारित।

बैंक लि., महबूबनगर; तथा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि., कोल्हापुर। 2005-06 के दौरान, सभी स्थानीय क्षेत्र बैंकों (कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि. को छोड़कर) की आस्तियां, जमाराशियां और सकल अग्रिम काफी बढ़े (सारणी III.58)।

3.142 2006-07 के दौरान, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की आय मुख्य रूप से ब्याज आय के कारण तेजी से बढ़ी। व्यय के पक्ष में,वर्ष के दौरान परिचालन व्यय और ब्याज व्यय में काफी वृद्धि दिखी। तथापि, आय में वृद्धि व्यय में वृद्धि की तुलना में अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप 2006-07 के दौरान निवल लाभ और परिचालन लाभ में अधिक वृद्धि हुई। कुल आस्तियों की तुलना में निवल लाभ का अनुपात पिछले वर्ष के 0.8 प्रतिशत की तुलना में 1.2 प्रतिशत पर अधिक था (सारणी III.59)।

सारणी III.59: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय कार्य निष्पादन

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए)

	मद	2005-06	2006-07	घट-बढ़ स्तम्भ 2 पर स्तम्भ 3 का अंतर	
				समग्र	प्रतिशत
	1	2	3	4	5
क.	**आय (i+ii)**	**30.0**	**46.3**	**16.3**	**54.3**
	i) ब्याज आय	25.5	37.4	11.9	46.8
	ii) अन्य आय	4.5	8.9	4.4	96.3
ख.	**व्यय (i+ii+iii)**	**27.2**	**40.5**	**13.3**	**48.7**
	i) ब्याज व्यय	12.0	18.3	6.3	52.7
	ii) प्रावधान और प्रासंगिक व्यय	2.6	4.3	1.7	64.1
	iii) परिचालनगत व्यय	12.6	17.8	5.2	41.7
	जिनमें से : वेतन बिल	4.5	7.0	2.6	57.2
ग.	**लाभ**				
	i) परिचालनगत लाभ / हानि	**5.4**	**10.2**	**4.8**	**88.2**
	ii) निवल लाभ / हानि	**2.8**	**5.9**	**3.1**	**111.1**
घ.	**स्प्रेड (निवल ब्याज आय)**	13.5	19.1	5.6	41.5
ङ	**कुल आस्तियां**	363.3	496.4	133.0	36.6
च.	**वित्तीय अनुपात@**				
	i) परिचालन लाभ	1.5	2.1		
	ii) निवल लाभ	0.8	1.2		
	iii) आय	8.3	9.3		
	iv) ब्याज आय	7.0	7.5		
	v) अन्य आय	1.3	1.8		
	vi) व्यय	7.5	8.2		
	vii) ब्याज का भुगतान	3.3	3.7		
	viii) परिचालन व्यय	3.5	3.6		
	ix) वेतन बिल	1.2	1.4		
	x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.7	0.9		
	xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	3.7	3.8		

टिप्पणी : @ कुल आस्ति का अनुपात
स्रोत : अप्रत्यक्ष विवरणियों पर आधारित ।